

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-68/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० सुरेन्द्र कुमार सुधाकर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा द्वारा दिनांक-27.06.2017 से 17.07.2017 तक कुल-21 (इक्कीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-58(25) दिनांक-07.01.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-68/2024-

1346/24

पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० सुरेन्द्र कुमार सुधाकर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।